Delegation to Soviet Union

3784. Shri Rameshwar Tantia: Will the Minister of Scientific Research and Cultural Affairs be pleased to state:

(a) whether a delegation of scientists has been or is being sent to the Soviet Union to study Soviet techniques and methodology in the field of industrial science; and

(b) if so, what is the composition of this delegation?

The Minister of Scientific Research and Cultural Affairs (Shri Humayun Kabir): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Lok Sabha. [*See* Appendix IX, annexure No. 53.]

Scholarships to Scheduled Castes and Tribes and other Backward Classes

3788. Shri Siddiah: Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it is proposed to entrust the work of awarding scholarships to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes to State Governments; and

(b) if so, whether it will be implemented during the year 1958-59?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

छावनी बोर्डों के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन

३७८९. **सेठ गोविन्द दास** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनियों के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की नवीनतम उपलब्ध प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि १९५४–५५ के बाद से ऐसा कोई प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय की १९५७–५८ की कार्य पद्धति में भूमि और छावनियों के बारे में एक खण्ड शामिल किया गया है । यह रिपोर्ट अब तक पार्लिमेंट के मेम्बरों में बांटी जा चुकी है ।

(ख) जी हां । १९५४–५५ वर्ष के लिए ऐसी एक रिपोर्ट मिलिट्री लैंड्स और केण्टोन्मेंटस के डायरेक्टर ने तैयार की थी । उसके बाद की रिपोर्ट मन्त्रालय की साधारण रिपोर्ट में शामिल कर दी गई थी ।

(ग) प्रति वर्ष प्रतिरक्षा मंत्रालय को हर छावनी से अनुशासन सम्बन्धी एक रिपोर्ट मिलती है । इनका एक संक्षिप्त संग्रह प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा ही तैयार किया जा सकता है न कि छावनियों द्वारा और इसी लिये यह साधारण किसम का होता है । ख्याल किया जाता है कि जैसा ऊपर कहा गया है रिपोर्ट में एक खंड को रिपोर्ट में शामिल कर देने से मतलब हल हो जाता है । फिर भी इस प्रश्न की बिना पर मामले की अधिक छान बीन की जायेगी ।

छावनी क्षेत्रों में गृह-निर्माण कार्य

३७९०. **सेठ गोविन्द दास** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग और अल्प आय वाले असैनिक लोगों के लिए गृह-निर्माण कार्यों के विकासार्थ १९५३ के बाद से कोई योजनायें कार्यान्वित की गई हैं ;

(ख) यदि हां तो वे योजनायें किन स्थानों में कार्यान्वित की गई और उनका स्वरूप क्या था ; और

(ग) यदि कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई तो इसका क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) छावनियां सिर्फ सैनिक आवश्यकताओं के लिये हैं । इसलिये वह दूसरे शहरी इलाकों से भिन्न हैं । ताहम छावनियों में ऐसे मकानों के लिये जो सैनिक आवश्यकता में नहीं आते सरकार की ओर से सहायता देने के लिए कम आय वाले गुटों को मकान बनाने के लिये कर्ज देने की एक योजना पर विचार हो रहा है ।

छावनी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की सफाई

३७९१. सेठ गोविन्द दास : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये किन्हीं योजनाओं को अब तक आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या ऐसी योजनायें असैनिक अथवा बाजार के क्षेत्रों के विकास तक ही सीमित हैं ; और

(ग) यदि हां तो किन क्षेत्रों में ये योजनायें आरम्भ की गई हैं और किस हद तक ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

छावनियों में स्कूल जाने की आयु वाले बच्चों की गणना

३७९२. सेठ गोविन्द दास : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न छावनी बोर्ड के क्षेत्रों में स्कूल जाने की आयु वाले और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की गणना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक छावनी बोर्ड से प्राप्त जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां, १९५७ में ।

(ख) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५४]

छावनी बोर्डों के प्रशासन का लोकतन्त्रीकरण

३७९३. सेठ गोविन्द दास : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ छावनी-बोर्डों में लोकतंत्र प्रणाली प्रयोग के तौर पर अपनाई गई है और अब बोर्ड के लिये निर्वाचित सदस्यों की संख्या मनोनीत अधिकारियों की संख्या के बराबर होती है ;

(ख) यदि हां, तो इन बोर्डों के नाम क्या हैं और यह प्रणाली कब से अपनाई गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे मामलों में बोर्ड का सभापति अब भी अधिकारियों में से चुना जाता है; और

(घ) छावनी के निदेशक ने उक्त छावनी बोर्डों की प्रगति के बारे में क्या प्रतिवेदन दिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) छावनियों के नाम ।